भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2011–12

आवेदक		
लक्ष्मी नायक, पिता–स्व0 शम्भू नायक, निवासी–दन्दासाई, वार्ड नं0–12, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम।	बनाम्	मधु नायक, पिता–स्व0 बुधु नायक, निवासी–वार्ड नं0–18(नया), 12(पुराना), पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम।

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.04.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अपीलार्थी लक्ष्मी नायक, पिता–स्व0 शम्भू नायक, निवासी–दन्दासाई, वार्ड नं0–12, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद–571/2011–12, दिनांक–14.12.2011 में पारित स्वीकृति आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2011–12, दिनांक–25.02.2012 को दायर किया गया है, जिसमें मधु नायक, पिता–स्व0 बुधु नायक, निवासी–वार्ड नं0–12, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया गया है।	

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नगरपालिका चक्रधरपुर, वार्ड नं0–15	–	162	116	0.06.000 ए0

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। पंजी–II में बिक्रेता मधु नायक के पिता–बुधु नायक एवं अन्य का नाम दर्ज है। आवेदित भूमि पर बिक्रेता मधु नायक, पिता–स्व0 बुधु नायक, निवासी–वार्ड नं0–12, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम का दखल–कब्जा है। मधु नायक ने प्रश्नगत भूमि निबंधित दलील संख्या–1287, दिनांक–30.11.2011 के माध्यम से उदय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, राम कुमार सिंह तीनों के पिता–श्री कुलदीप सिंह, निवासी–वार्ड नं0–15, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को बिक्री किया है।

कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, इनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मी नायक एवं मधु नायक, घसीया नायक के वंशज हैं। घसीया नायक को चार पुत्र क्रमशः शम्भू नायक, पठिया नायक, चैतन्य नायक एवं पदु नायक था।

शम्भू नायक का उत्तराधिकारी लक्ष्मी नायक है जो कायम है एवं प्रश्नगत वाद में एक पक्षकार है। चैतन्य नायक का बेटा वुधु नायक था जो स्वर्गीय है उनका एकमात्र

पुत्र मधु नायक है। पठिया नायक एवं पदु नायक नावल्द (Issueless) मौत (death) कर गये। घसीया नायक के चारों पुत्र–शम्भू नायक, पठिया नायक, चैतन्य नायक एवं पदु नायक के नाम से हाल सर्वे खतियान में अंश सामान दर्ज है। इस प्रकार खतियान में दर्ज भूमि का मालिकाना हक लक्ष्मी नायक एवं मधु नायक को आधा–आधा है।

इनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि जाँच के क्रम में मधु नायक द्वारा बताया गया कि हिस्सेदारी में मात्र उनके पिता के जायदाद का हक उन्हें मिला है साथ ही लक्ष्मी नायक द्वारा बताया गया कि मधु नायक एवं उसके पिता–बुधु नायक के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का Major Portion बिक्री कर दिया गया है। वर्तमान में इनके नाम पर नाम मात्र की जमीन बची हुई है। मधु नायक द्वारा बताया गया कि पैत्रिक भूमि लक्ष्मी नायक के द्वारा भी बिक्री की गई है।

जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि आपसी बँटवारे से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज निबंधित या अनिबंधित या पंचों के द्वारा बँटवारानामा दोनों पक्षों के पास उपलब्ध नहीं है। आपसी बँटवारा संबंधी दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी उभय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार भूमि का बिक्री किया गया है।

उक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण स्वीकृति आदेश में उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मधु नायक के दखल–कब्जे में है साथ ही मधु नायक खतियानी रैयत के बैध उत्तराधिकारी हैं। पूर्व में दोनों पक्षों द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति का आवश्यकतानुसार बिक्री किया गया है, जिसमें उभय पक्षों द्वारा भूमि बिक्री के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक–09.12.2017 को न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल कर बताया गया है कि वर्तमान में मधु नायक के साथ इनका किसी तरह का भूमि विवाद नहीं है। आपस में दोनों के बीच आपसी समझौता हो चूका है। अपीलार्थी द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या–11/2011–12 को खारिज करने का न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

अतएव अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–571/2011–12, दिनांक–14.12.2011 में पारित स्वीकृति आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज किया जाता है। यदि पैत्रिक सम्पत्ति के बँटवारा/हकीयत के संबंध में दोनों पक्षों के बीच विवाद है तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

ह०/-

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.17 16:48:13 +05:30
Location: 192.168.1.39